रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102023-249212
CG-DL-E-06102023-249212

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4183] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 6, 2023/आश्विन 14 , 1945
No. 4183] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 6, 2023/ASVINA 14, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6,अक्तूबर, 2023

का.आ. 4354(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना, संख्यांक का.आ.1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, असम (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(i) श्री राजेश केम्पराय, --- अध्यक्ष;
विशेष आयुक्त और विशेष सचिव (सेवानिवृत),
लोक निर्माण (सड़क), असम सरकार, मकान सं. 101,
प्रतिष्ठा अपार्टमेंट, बसिष्ठपुर, बाय लेन सं.-4, सर्वे बेलटोला,
गुवाहाटी -28

(ii) डॉ. सरत फुकान, --- सदस्य
प्रोफेसर, भू-विज्ञान विभाग,
गुवाहाटी विश्वविद्धायल, गुवाहाटी -781014

(iii) सचिव, असम सरकार, पर्यावरण और वन विभाग। --- सदस्य-सचिव

2. प्राधिकरण, के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

3. प्राधिकरण, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जैसा उक्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

4. प्राधिकरण, असम सरकार के लिए पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर अपना विनिश्चय करेगा ।

5. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण को सहायता करने के प्रयोजन के लिए असम सरकार के परामर्श से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है), का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(i) श्री जितेन्द्र सरमा, -अध्यक्ष;
क्षेत्र निदेशक, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (सेवानिवृत्त),
समीप चांदमारी फ्लाईओवर के पास, कलाभूमि के पीछे,
बीएसएनएल टावर (मकान सं. 3), चांदमारी, गुवाहाटी-781021

(ii) डॉ. अपूर्ब कुमार दास, - सदस्य;
प्रोफेसर, पर्यावरण विज्ञान विभाग,
तेजपुर विश्वविद्यालय तेजपुर-784028.

(iii) डॉ. बिजॉय शंकर गोस्वामी, - सदस्य;
वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर,
रसायन विज्ञान विभाग,
बी बोरूआ महाविद्यालय, गुवाहाटी

(iv) डॉ. राहुल महंता, -सदस्य;
सहायक प्रोफेसर, भौतिक विज्ञान कॉटन विश्वविद्यालय,
गुवाहाटी, असम-781001

(v) श्री अरूप बार्पुजरी, -सदस्य;
जॉनकी नगर, समीप प्रतीक्षा अस्पताल,
मकान सं. 36-एबी: डा.खा. हेनगराबारी, पुलिस थानाः दिसपुर,
जिला: कामरूप (एम), गुवाहाटी-781036

(vi) डॉ. रज़ा रफ़ीकुल हक, -सदस्य;
पर्यावरण विज्ञान विभाग,
तेज़पुर विश्वविद्यालय, तेज़पुर-784028

(vii) श्री शांतनु भट्टाचार्य, -सदस्य;
अपर मुख्य अभियंता (सेवानिवृत्त), असम लोक निर्माण विभाग,
असम सरकार, मकान.सं.-2, गवर्नमेंट प्रेस रोड, बामुनिमैदाम,
गुवाहाटी-781021

(viii) सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम। सदस्य सचिव।

6. समिति के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

7. किसी भी प्रकार के हित में विरोध के परिवर्जन के लिए-

(i) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य तथा समिति -

IndiaCode

(क) घोषित करेंगे कि वे किस परामर्श संगठन से जुडे हुए हैं तथा परियोजना के प्रस्तावकों के बारे में भी घोषणा करेंगे ;

(ख) परियोजना के लिए पर्यावरणीय समाघात निर्धारण तथा पर्यावरण प्रबंध योजना की तैयारी के संबंध में कोई परामर्श या सहायता नहीं लेंगे, जिसका विनिश्चय प्राधिकरण द्वारा किया जाना है या जिसका मूल्यांकन समिति द्वारा उसके कार्यकाल में किया जाना है; और

(ii) पूर्ववर्ती पांच वर्षों में, यदि समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य ने किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए परामर्श सेवाएं दी हैं या पर्यावरण समाघात निर्धारण अध्ययन संचालित किया है, वह ऐसे प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित किसी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया में समिति की बैठकों से स्वयं को बचा लेंगे ।

8. समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा ऐसी प्रक्रियाओं की अनुपालना करेगी जैसा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

9. समिति, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी तथा अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेंगे तथा यदि सर्वसम्मति पर पहुंचनें में वह असफल रहते हैं तो बहुमत का मत अभिभावी होगा ।

10. (i) असम राज्य सरकार, किसी अभिकरण को विनिर्दिष्ट करेगी जो प्राधिकरण तथा समिति के सचिवालय के रुप में कार्य करेगा ।

(ii) सचिवालय, वित्तीय तथा संभार-तंत्र समर्थन, जिसके अंतर्गत वास-सुविधा, परिवहन और उक्त अधिसूचना के अधीन उनके कृत्यों के संबंध में ऐसी अन्य प्रसुविधाएं भी हैं, का उपबंध करवाएगा।

11. प्राधिकरण तथा समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों को बैठक के लिए की फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता, असम राज्य सरकार के सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार संदत्त होंगे ।

[फा. सं. आईए 3-13/5/2023-आई.ए.III]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2023

S.O. 4354(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority for Assam (hereinafter referred to as the Authority) comprising of the following persons, namely: -

(i) Sri Rajesh Kemprai, -Chairman;
Special Commissioner and Special Secretary (Retd.),
Public Works (Roads), Government of Assam, House No.101, Pratistha Apartment, Basisthapur, Bye Lane No.4, Survey, Beltola, Guwahati-28.

(ii) Dr. Sarat Phukan, -Member;
Professor, Department of Geological Science, Guwahati University, Guwahati-781014.

(iii) Secretary to the Government of Assam, Environment and Forest Department. -Member Secretary.

2. The Chairman and Members of the Authority shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 5 for the State of Assam.

5. The Central Government, in consultation with the State Government of Assam, for the purpose of assisting the Authority, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee (hereinafter referred to as the Committee), comprising of the following persons, namely: -

(i)	Shri Jatindra Sarma, Field Director, Kaziranga National Park (Retd.), Near Chandmari Flyover, Behind Kalabhumi, BSNL Tower (House No. 3), Chandmari, Guwahati-781021.	-Chairman;
(ii)	Dr. Apurba Kumar Das, Professor, Department of Environmental Science, Tezpur University, Tezpur-784028.	-Member;
(iii)	Dr. Bijoy Sankar Goswami, Sr. Asst. Professor, Department of Chemistry, B. Borooah College, Guwahati.	-Member;
(iv)	Dr. Rahul Mahanta, Associate Professor, Physics Cotton University, Guwahati, Assam-781001.	-Member;
(v)	Shri Arup Barpujary, Jonaki Nagar, Near Pratiksha Hospital, House No. 36-AB, P.O.: Hengrabari, P.S.: Dispur, Dist.: Kamrup (M), Guwahati-781036.	-Member;
(vi)	Dr. Raza Rafiqul Houque, Department of Environmental Science, Tezpur University, Tezpur-784028.	-Member;
(vii)	Shri Shantanoo Bhattacharyya, Additional Chief Engineer (Retd.), Assam Public Works Department, Government of Assam, House No. 2, Government Press Road, Bamunimaidam, Guwahati-781021.	-Member;
(viii)	Member Secretary, Pollution Control Board, Assam.	-Member Secretary.

6. The Chairman and Members of the Committee, shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. In order to avoid any conflict of interest, -

(i) the Chairman and Members of the Authority, and the Committee shall-

(a) declare to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;

(b) not undertake any consultation or associate with regard to preparation of Environment Impact Assessment and Environment Management Plan for project, which is to be decided by the Authority, or to be appraised by the Committee during their tenure; and

(ii) in the preceding five years, if the Chairman or any Member of the Committee has provided consultancy services or conducted Environment Impact Assessment studies for any project proponent, they shall recuse themselves from the meetings of the Committee from the process of appraisal of any project proposed by such proponents.

8. The Committee shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

9. The Committee shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach consensus in each case, and if they fail to reach consensus, the view of the majority shall prevail.

10. (i) The State Government of Assam shall specify an agency to act as secretariat of the Authority and the Committee.

(ii) The secretariat shall provide financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of their functions under the said notification.

11. The sitting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority and the Committee, shall be paid in accordance with the provisions of relevant rules, of the State Government of Assam.

[F. No. IA3-13/5/2023-IA.III]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 20.03.1106:20:0104 +05'30'